



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30640

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1609/2026

डॉ. लालजी गौतम और 161 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिवेंदु ओझा, स्नेह पांडे, वरिष्ठ

अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

सिविल विविध संशोधन आवेदन संख्या – 2, वर्ष 2026 के संदर्भ में

1. इस संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 04.02.2026 के आदेश के अनुच्छेद 4 की दूसरी अंतिम पंक्ति में संशोधन का अनुरोध किया गया है, जिसमें "काल्पनिक" शब्द के बाद और "वरिष्ठता" से पहले "पदोन्नति और" शब्द जोड़ा जाए, और इसी प्रकार अनुच्छेद 6 की दूसरी अंतिम पंक्ति में "काल्पनिक" शब्द के बाद और "वरिष्ठता" से पहले "पदोन्नति और" शब्द जोड़ा जाए। अनुच्छेद 6 में उल्लिखित तिथि "20.01.2026" को "27.02.2026" से प्रतिस्थापित किया जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4. आवश्यक संशोधन शामिल किए जाएं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"